

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मज अदालत सहायक कलेक्टर लखनपु SDO मुकाम बायतु

मारे खाँ बनाम गिरधारी राम कजोर

किस्म मुकदमा राजस्थान डी.एस. 371957 नं. 297/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>27/06/2022</p> <p>03/08/2022</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>कृष्णमोहन चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>03/08/2022</u> को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p> <p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी-गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक - 16/08/2022 को पेश है।</u></p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>	<p>346 4/7/2022</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सेवा में

16/08/2022

प्रार्थी वरील उपाहित/ विप्रार्थी-
 गणों के नोहिम पूर्व में जरिफे रजिस्टर्ड
 एडी भिजवाये गये जिनको डरील 1 माह
 से अधिक का समय व्यवहित हो चुका
 है जिनकी डोर से कोई उपाहित नहीं
 हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज
 लगाई गई मॉन्टिंग आवाज 5.45 PM
 पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या
 उनकी डोर से कोई अधिवक्ता उपाहित
 नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध
 एकतरफा डोरवाट्टी हमल में लाई जाती है।
 न्यायालय के आदेश पर पत्रावली दिनांक-22/08/2022
 को पेश की।

22/08/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
 अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के
 अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के
 खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों
 के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
 वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी
 एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
 विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की
 सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
 आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
 किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
 नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को
 कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
 आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
 खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
 जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
 पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
 दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (SDC)
 बायतु
 बाडमे

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1286

दिनांक : 22/8/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मीरे खा पुत्र सईद खा,
जाति मुसलमान, निवासी खोखर दक्षिण,
पटवार मण्डल खोखर पश्चिम,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

1. गिरधारीराम पुत्र धुडाराम वगैरा 08,
जाति जाट, निवासी खोखर दक्षिण,
पटवार मण्डल खोखर पश्चिम,
तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 297 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - खोखर दक्षिण, पटवार मण्डल - खोखर पश्चिम, तहसील - गिडा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1792/1697 रकबा 8.1018 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जात है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1267-71

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का खोखर पश्चिम को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मीरे खा पुत्र सईद खा,
4. विप्रार्थी श्री गिरधारीराम पुत्र धुडाराम वगैरा 08,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जमाती थानाधिकारी आशियम)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :

उपखण्ड अधिकारी बायतु,
जिला-बाड़मेर